

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

Phone. No. 07868-241282, Fax. No. 07868-241482


E-Mail Id- zp-kanker.cg@nic.in

क्रमांक / 10405 / जि.पं. / PMAY (G) / 2017-18

कांकेर, दिनांक 03 / 11 / 2017

--0 प्रेस विज्ञप्ति 0--


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास आयुक्त कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रकोष्ठ, प्रथम तल, ब्लाक-दो, कक्ष क्रमांक-33 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/253/वि-6/प्रमंआयो(ग्रा.)/2017 नया रायपुर दिनांक 04.05.2017 एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/12/अमुस /पंग्राविवि/2017 नया रायपुर दिनांक 06.01.2017 द्वारा स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले सरल क्रमांक 01 में अंकित पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं सरल क्रमांक 02 एवं 03 में अंकित पद हेतु कांकेर जिले के मूल निवासियों से दिनांक 15.11.2017 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम एवं शर्तें, जिला पंचायत कांकेर की सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in/ www.zpkanker.gov.in में देख सकते हैं।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर
कांकेर, दिनांक 03 / 11 / 2017

पृ. क्रमांक / 10406 / जि.पं. / PMAY (G) / 2017-18

प्रतिलिपि :-

01. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
03. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ। कृपया समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
04. जिल सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को जिले की वेबसाइट में विज्ञप्ति अपलोड कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक/10433 /जि.पं./प्रमंआयो(ग्रा.)/2017-18

कांकेर दिनांक 03/11/2017

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विकास आयुक्त कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रकोष्ठ, प्रथम तल, ब्लॉक-दो, कक्ष क्रमांक-33 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/253/वि-6/प्रमंआयो(ग्रा.)/2017 नया रायपुर दिनांक 04.05.2017 एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/12/अमुस /पंआवि/2017 नया रायपुर दिनांक 06.01.2017 द्वारा स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले सरल क्रमांक 01 में अंकित पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं सरल क्रमांक 02 एवं 03 में अंकित पद हेतु कांकेर जिले के मूल निवासियों से दिनांक 15.11.2017 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

क.	पद का नाम एवं आरक्षण	पद संख्या	सविदा वेतन (एक मुश्त)	योग्यता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण
1	2	3	4	5	6
1	विकासखंड समन्वयक (जनपद पंचायत हेतु) अजा - 00 अजजा - 04 अपिव - 00 अनारक्षित- 00	4	23086.00	1. प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई. सिविल। 2. शासकीय एवं गैर शासकीय कार्य में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव। (विकासखंड समन्वयक पद हेतु प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई. (सिविल) तथा शासकीय एवं गैर शासकीय कार्य में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर डिप्लोमा (सिविल) योग्यताधारी अभ्यर्थी का चयन मेरिट के आधार पर किया जा सकता है यदि डिप्लोमा (सिविल) योग्यताधारी वांछित अनुभव के साथ उपलब्ध होते हैं तो नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी, और यदि वांछित अनुभव वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो डिप्लोमा (सिविल) के साथ वांछित अनुभव की बाध्यता नहीं होगी।)	- हायर सेकेन्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए - 60 अंक - कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुए - 40 अंक
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अजा - 00 अजजा - 0 अपिव - 00 अनारक्षित- 01	1	16445.00	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।)	न्यूनतम आर्हता के अंकों का अधिभार- 65% कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का अधिभार - 35%

11/11


3	सहायक प्रेड-03	1	12645.00	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।	न्यूनतम आर्हता के अंकों का अधिभार- 65% कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का अधिभार - 35%
	अज्ञा - 00			(2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 5000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।)	
	अज्ञा - 0				
	अपिव - 00				
	अनारक्षित- 01				

नियम एवं शर्तें :-

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन बंद लिफाफे में, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर के नाम से दिनांक 15/11/2017 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय 5:00 बजे तक प्राप्त किया जावेगा। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- आयु न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2017 के आधार पर की जावेगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- निर्धारित योग्यता रखने वाले सरल क्रमांक 01 में अंकित पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं सरल क्रमांक 02 में अंकित पद हेतु कांकेर जिले के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- सरल क्रमांक 01 में अंकित पद हेतु संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष एवं सरल क्रमांक 02 एवं 03 में अंकित पद हेतु संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
- संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति के पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- प्राप्त आवेदन पत्रों का मेरिट के आधार पर सूची बद्ध किया जावेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा तद्उपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम घयन सूची तैयार किया जावेगा।
- सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
- शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत करना होगा।
- अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
- आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

11/11/17

- 17 आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- 18 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो यह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 19 नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

स्वप्रमाणित पासपोर्ट
साईज का हाल ही
की फोटो

01. आवेदित पद का नाम :-
02. आवेदक/आवेदिका का नाम :-
03. पिता/पति का नाम :-
04. स्थायी पता :-
05. पत्र व्यवहार का पता :-
06. जन्मतिथि (अंको में) :-
- (शब्दों में) :-
07. दिनांक (01.10.2017 को आयु) :-
08. जाति/वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.वि.व) :-
- (का स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
09. छ.ग. के रोजगार कार्यालय का नाम :-
- जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक :-
10. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्त अंकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

11. क्या उम्मीदवार विवाहित है, यदि हां तो विवाह की तिथि :-
12. जीवित संतान की संख्या :-

13. अनुभव का विवरण :-

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव		
			दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवधि
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

14. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची :-

- 1.....2.....
 3.....4.....
 5.....6.....
 7.....8.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-

मोबाईल नंबर :-

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां सत्य और सही है, मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा और चयन के उपरांत भी मेरा चयन या मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे मान्य होगा।

संलग्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति मांगे जाने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-